संख्या-84/2023/I/360353/2023/001-71-2099-985-2021

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषय:- के0जी0एम0यू0 के अंतर्गत नेहरू पी0जी0 हॉस्टल एवं पुराने तथा नये विंग हॉस्टल में विद्यमान बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर समस्याओं के निराकरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2137/योजना अनु0/2023, दिनांक 20.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 के अन्तर्गत नेहरू पी0जी0 हॉस्टल एवं पुराने तथा नये विंग हॉस्टल में विद्यमान बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर समस्याओं के निराकरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नेहरू पी0जी0 हॉस्टल एवं पुराने तथा नये विंग हॉस्टल में विद्यमान बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर समस्याओं के निराकरण कराये जाने हेतु आंकलित लागत रू0 340.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए परियोजना की प्रथम किस्त की धनराशि रू0 170.47 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख सैतालिस हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 134.67 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से रू0 35.80 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

2. प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. कुलसचिव एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त् करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
4. लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। कुलसचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
8. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कुलसचिव का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।
10. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
11. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी के हैं एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। निर्माण के समय इनका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
13. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
14. बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
15. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर खाते में नहीं रखा जायेगा।
16. सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
17. कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 03-03 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।
18. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
19. धनरशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,34,67,000 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 35,80,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(रुपये पैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-80-X-2023-24-दिनांक:20-7-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-84/2023/I/360353/2023/001-71-2099-985-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ, लिबर्टी कालोनी पार्क सर्वोदय नगर, निकट विकास भवन, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।